POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 21.10.2025

1. थाना दादरी पुलिस व हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में

विवरण-- दिनांक **21.10.2025** को **थाना दादरी पुलिस** द्वारा ग्राम नंगला नैनसुख में हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र कर्मवीर को हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (तमंचा) की बरामदगी हेतु ले जाया जा रहा था तभी आईटीआई कालेज नंगला नैनसुख के पास अभियुक्त सचिन पुत्र कर्मवीर द्वारा पुलिस टीम से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया व पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त सचिन गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्त की निशानदेही से 01 तमंचा .315 बोर व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त सचिन पुत्र कर्मवीर निवासी ग्राम चक्रसेनपुर, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं सतन उर्फ सतेंद्र पुत्र चिंतपाल, निवासी ग्राम नंगला नैनसुख, दादरी, गौतमबुद्धनगर के प्लॉट पर उसके भाई राजेश के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसी दौरान हम दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिस पर मैंने अपने पास मौजूद तमंचे से राजेश को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद मैं वहां से भाग गया था।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 573/2025 धारा 103(1) बीएनएस, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 831/2021 धारा 147,148,149,307,336,392,427,436,452,506 भादवि, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0- 250/2015 धारा 147,148,149,307,323,452,504,506 भादवि, थाना दादरी, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही/घटना का विवरण-- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दिनांक **21.10.2025** को हरप्रसाद कालोनी कस्बा सूरजपुर से अभियुक्तगण 1.वंश पुत्र राजकुमार 2.विवेक पुत्र बबलू को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा रात्रि में हरप्रसाद कालोनी से आवेदक की मोटर साईकिल नं0 यूपी 16 बीई 6058 को चोरी कर ले जा रहे थे जिन्हें चोरी की मोटर साईकिल के साथ मौके पर पकड़ लिया तथा पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण द्वारा नोएडा से भिन्न भिन्न जगहो से 02 मोटर साईकिल भी चोरी करना बताया तथा मोटर साईकिल को बराही मंदिर वाले रास्ते पर बने खंडहर में छिपाना बताया तथा अभियुक्तगण को उनके बताये स्थान पर ले जाकर चोरी की दो मोटर मोटर साइकिल 1. मो0सा0 स्प्लेण्डर रंग काला चैचिस नं0 06F16C09277 व दूसरी मो0सा0 स्पलेण्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट चैचिस नं0 MBLHA10EZBHM56306 मौके से बरामद की गयी। जिनके चोरी होने के स्थान की जानकारी की जा रही है। आवेदक की तहरीर एवं अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से बरामद चोरी की मोटर साईकिलो के सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0- 614/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. वंश पुत्र राजकुमार निवासी राजीव कालोनी मोहन नगर डी -94 थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष,
2. विवेक पुत्र बबलू निवासी बी-1269 राजीव कालोनी थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

अपराधिक इतिहास का विवरण--

मु0अ0सं0- 614/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी विवरण--

चोरी की 03 मोटर साइकिल

3. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा अवैध पटाखो की ब्रिकी करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से प्रतिबंधित अवैध पटाखे बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दिनांक **21.10.2025** को राशिद कालोनी की सर्विस रोड़ कस्बा सूरजपुर से अभियुक्त 1.नजमू उर्फ नजमूद्दीन पुत्र करमू 2.वसीम पुत्र शब्बीर 3.नौसाद पुत्र आजाद अली को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा राशिद कालोनी की सर्विस रोड़ पर प्रतिबंधित अवैध पटाखो की अवैध ब्रिक्री की जा रही थी तथा उनके कब्जे से प्रतिबंधित अवैध पटाखे मौके से बरामद किये गये है जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 615/2025 धारा 288 बीएनएस व धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम 1884 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. नजमू उर्फ नजमूद्दीन पुत्र करमू निवासी मदीना मस्जिद के पास राशिद कालोनी कस्बा व थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 45 वर्ष
2. वसीम पुत्र शब्बीर निवासी मौहल्ला बादशाहनगर स्टेट बैंक वाली गली कस्बा व थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 34 वर्ष
3. नौसाद पुत्र आजाद अली निवासी मौहल्ला कोलीहाई थाना शाहगंज जिला आगरा हालपता पीर वाली गली कादरी मस्जिद के पास राशिद कालोनी कस्बा व थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर उम्र 38 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 - 615/2025 धारा 288 बीएनएस व धारा 5/9ठ विस्फोटक अधिनियम 1884 थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी विवरण--

01 प्लास्टिक का कट्टा व 01 गत्ते का कार्टून में प्रतिबंधित अवैध पटाखे।